UPHR010088532025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), हरदोई
दाण्डिक प्रकीर्ण सं0–936/2025
श्री रामकृपाल बनाम देवेन्द्र सिंह

अ०सं०–1889/2022
धारा –135 विद्युत अधिनियम
थाना– ए०पी०टी०, जिला हरदोई।

दिनाँक–14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। मु०अ०सं० **1889/2022** अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई बनाम **देवेन्द्र सिंह** के विरूद्ध विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या 465/2025 दिनांकित 12.11.2025 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न पत्रावली है। चूंकि प्रकरण के अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है जिसके आधार पर बाद विवेचना अंतिम रिपोर्ट संख्या 465/2025 दिनांकित 12.11.2025 प्रस्तुत की गयी है।

वाद की प्रकृति एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(i) **अन्तिम रिपोर्ट 465/2025 दिनांकित 12.11.2025** अनापत्ति के मद्देनजर **स्वीकार** की जाती है।

(ii) तदनुसार वर्तमान प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(iii) पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(यशपाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP1867

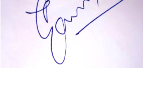

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2026.03.14 16:21:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court